प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ: माननीय न्यायाधीश श्री सुनील कुमार सिन्हा एवं माननीय

न्यायाधीश श्री राधेश्याम शर्मा

दाण्डिक अपील क्रमांक 493/1995

नैन दास सतनामी और अन्य

- बनाम-

छत्तीसगढ़ राज्य

निर्णय हेतु विचारार्थ

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

आर एस शर्मा

न्यायाधीश

माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील कुमार सिन्हा

मै सहमत हूं।

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

निर्णय हेतु दिनांक 26.11.2012 को सूचीबद्घ करें

सही/-

आर एस शर्मा

न्यायाधीश

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठः माननीय न्यायाधीश श्री सुनील कुमार सिन्हा एवं माननीय

न्यायाधीश श्री राधेश्याम शर्मा

दाण्डिक अपील क्रमांक 493/1995

अपीलार्थीगण : 1. नैन दास सतनामी, पिता लाल दास सतनामी, उम्र लगभग 50 वर्ष, व्यवसाय - कृषक,

2. शिव कुमार @ शिव प्रसाद सतनामी, पिता थानू सतनामी, उम्र लगभग 22 वर्ष, व्यवसाय - कृषक

3. राम प्रसाद @ चुक्का सतनामी, पिता नैन दास सतनामी, उम्र लगभग 25 वर्ष, व्यवसाय - कृषक

4. लक्ष्मण सतनामी, पिता नैन दास, उम्र लगभग 24 वर्ष, व्यवसाय - कृषक।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

प्रत्यर्थी : छत्तीसगढ़ राज्य

उपस्थितः

अपीलार्थीगण की ओर से श्री सविता तिवारी, अधिवक्ता ।

राज्य की ओर से श्री अरविंद दुबे, पैनल अधिवक्ता ।

(दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 (2) के अंतर्गत दांडिक अपील)

निर्णय

(दिनांक 26.11.2012 को पारित किया गया)

माननीय न्यायमूर्ति श्री राधेश्याम शर्मा के अनुसार :

यह अपील दिनांक 31-1-1995 के उस निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जो षष्ठम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 49/1992 में पारित किया गया था। आक्षेपित निर्णय द्वारा अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण नैन दास सतनामी, शिव कुमार उर्फ शिव प्रसाद सतनामी, राम प्रसाद उर्फ चुक्का सतनामी तथा लक्ष्मण सतनामी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अंतर्गत दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास से दंडित किया गया है। सह-अभियुक्त थनवर को उसके विरुद्ध विरचित आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. अभियोजन का संक्षिप्त मामला इस प्रकार है :

मृतक गनीराम, धनीराम (अ.सा.-6) का भाई था। दिनांक 7-9-1991 को लगभग दोपहर 1:00 बजे धनीराम (अ.सा.-6) एवं मृतक गनीराम ग्राम उसलापुर में अपने खेत की जुताई कर रहे थे। दोषमुक्त किया गया अभियुक्त थनवर, बनिया नामक व्यक्ति के समीपवर्ती खेत में बैठा हुआ था। अपीलार्थीगण राम प्रसाद, लक्ष्मण, शिव प्रसाद एवं नैन दास उस खेत में आकर दोषमुक्त किए गए अभियुक्त थनवर से मिले। अपीलार्थी अपने साथ कांवर लाए हुए थे। उन्होंने कांवर में लाठी एवं तब्बल छिपा रखे थे। तत्पश्चात अपीलार्थीगण गनीराम एवं धनीराम (अ.सा.-6) के खेत में गए। वहाँ उन्होंने मृतक गनीराम को घेर लिया तथा लाठी एवं तब्बल से उस पर प्रहार किया। गनीराम को अनेक चोटें आईं और उन्हीं चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद धनीराम (अ.सा.-6) वहाँ से भागकर थाना बेमेतरा गया और प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्र.पी.-16) दर्ज कराई। मर्ग सूचना (प्र.पी.-18) भी दर्ज की

गई। विवेचना अधिकारी घटनास्थल पर पहुँचे, पंचों को सूचना (प्र.पी.-8) दी तथा मृतक के शव का मृत्यु समीक्षा (प्र.पी.-9) तैयार किया। मृतक के शव को शव परीक्षण हेतु सिविल चिकित्सालय, प्र.पी.-2 के तहत बेमेतरा भेजा गया। डॉ. के.के. मालेवार (अ.सा.-3) ने मृतक का शव परीक्षण किया और अपना प्रतिवेदन (प्र.पी.-3) दिया, जिसमें उन्होंने मृतक के शरीर पर लगभग 8 कटे हुए घाव पाए तथा दाहिने कोहनी के जोड़ के कट जाने से दाहिनी भुजा का अग्रभाग जोड़ से पूर्णतः अलग पाया। उन्होंने माथे की अग्रस्थि में अस्थिभंग भी पाया। उन्होंने यह मत व्यक्त किया कि मृतक की मृत्यु अनेक अस्थिभंग एवं अत्यधिक रक्तस्राव के परिणामस्वरूप उत्पन्न आघात एवं अत्यधिक रक्तस्राव के कारण हुई।

आगे की विवेचना में घटनास्थल का नक्शा (प्र.पी.-17) तैयार किया गया। घटनास्थल से रक्तरंजित मिट्टी एवं सादी मिट्टी को जप्त किया गया, जिसका ज्ञापन प्र.पी.-10 है। दो हल (नांगर जुडा) क्रमशः प्र.पी.-11 एवं प्र.पी.-12 के तहत जप्त किए गए। घटनास्थल से मिट्टी के घड़े के टुकड़े प्र.पी.-13 के माध्यम से जप्त किए गए। घटनास्थल से एक बाँस भी प्र.पी.-14 के तहत जप्त किया गया। छिका, लुंगी एवं चावड़ी को प्र.पी.-15 के माध्यम से जप्त किया गया। पटवारी टीकुराम (अ.सा.-15) ने भी मौका नक्शा (प्र.पी.-26) तैयार किया। अपीलार्थी नैन दास से तब्बल एवं बनियान प्र.पी.-19 के माध्यम से जप्त की गई। दोषमुक्त किए गए अभियुक्त थनवर तथा अपीलार्थी शिव प्रसाद, राम प्रसाद एवं लक्ष्मण से लाठियाँ क्रमशः प्र.पी.-19 से प्र.पी.-23 के अंतर्गत जप्त की गईं। जप्त समस्त सामग्री को न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, सागर भेजा गया।

विवेचना पूर्ण होने के पश्चात अपीलार्थियों तथा दोषमुक्त किए गए अभियुक्त थनवर के विरुद्ध अभियोग पत्र अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बेमेतरा के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने प्रकरण को सत्र न्यायाधीश, दुर्ग के न्यायालय को

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

विचारण हेतु उपार्पित किया। वहाँ से अंतरण पर यह प्रकरण षष्ठम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दुर्ग को प्राप्त हुआ, जिन्होंने विचारण संपन्न कर अपीलार्थियों को दोषसिद्ध करते हुए दंडित किया तथा सह-अभियुक्त थनवर को दोषमुक्त किया।

3. अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्रीमती सविता तिवारी ने तर्क प्रस्तुत किया कि इस प्रकरण में कोई स्वतंत्र चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। गनीराम मृतक का भाई है, अतः वह रिश्तेदार तथा अत्यधिक हितबद्ध साक्षी है। उसका साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। अपीलार्थियों को झूठा फँसाया गया है, इसलिए वे अपने विरुद्ध विरचित आरोपों से दोषमुक्त किए जाने के पात्र हैं।

4. राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री अरविंद दुबे ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा दी गई दोषसिद्धि एवं दंडादेश में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किए जाने का कोई आधार नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सुसंगत, हितबद्ध एवं आहत साक्षीगण :

5. ***दयाल सिंह एवं अन्य बनाम राज्य उत्तरांचल*****, ए.आई.आर. 2012 एस सी 3046** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि—

> **"10.** इस न्यायालय ने पुनः यह अभिनिर्धारित किया है कि किसी चक्षुदर्शी साक्षी के साक्ष्य को केवल इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि वह मृतक का रिश्तेदार या मित्र है। 'हितबद्ध साक्षी' की संकल्पना में मूलतः अन्यायपूर्ण आचरण एवं अभियुक्त को झूठा फँसाने की अनुचित आशय का तत्व होना आवश्यक है। केवल तभी, जब ये तत्व विद्यमान हों और साक्षी का कथन विश्वासयोग्य न हो, न्यायालय ऐसे कथनों को अस्वीकार करने की संभावना पर विचार करेगा। किंतु जहाँ चक्षुदर्शियों की उपस्थिति स्वाभाविक सिद्ध हो जाती है और उनके

कथन घटना के वास्तविक तथ्यों का सत्य प्रकट करते हों, वहाँ ऐसे संबंधी या मित्र साक्षियों के कथनों को अस्वीकार करना न्यायालय के लिए अनुमेय नहीं होगा।

"12. ऐसा कोई कठोर एवं अपरिवर्तनीय नियम नहीं है कि परिवार के सदस्य कभी भी घटना के सच्चे साक्षी नहीं हो सकते अथवा वे सदैव न्यायालय के समक्ष असत्य कथन प्रस्तुत करेंगे। यह प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। *जयाबलन बनाम यू.टी. ऑफ पुदुचेरी* (2010) 1 एस सीसी 199 : (ए.आई.आर. 2010 एस सी (सप) 352 : 2010 ए.आई.आर. एस सीडबल्यू 419) में इस न्यायालय को यह विचार करने का अवसर मिला कि क्या हितबद्ध साक्षियों के अभिसाक्ष्य पर भरोसा किया जा सकता है। न्यायालय ने यह दृष्टिकोण अपनाया कि हितबद्ध साक्षी के साक्ष्य की विवेचना करते समय अत्यधिक तकनीकी दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाना चाहिए। ऐसे साक्ष्य को केवल इस कारण से नज़रअंदाज़ या अमान्य नहीं किया जा सकता कि वह मृतक के निकट संबंधी व्यक्ति से आई है। न्यायालय ने निम्नलिखित अनुसार अभिनिर्धारित किया है (एस सी सी पृष्ठ 213, कंडिका 23-24) : (एआईआर एस सी डब्ल्यू के कंडिका 21 और 22)

23. हमारा विचार है कि जिन मामलों में न्यायालय को हितबद्ध साक्षियों के साक्ष्य पर विचार करना है, वहाँ साक्ष्य की विवेचना में न्यायालय का दृष्टिकोण अत्यधिक तकनीकी नहीं होना चाहिए। न्यायालय को ऐसे साक्ष्य की विवेचना करते समय सतर्क रहना चाहिए तथा उसे स्वीकार करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, किंतु उसे संदेहग्रस्त नहीं होना

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

चाहिए। न्यायालय का मुख्य उद्देश्य साक्ष्य में निरंतरता तलाशना होना चाहिए। किसी साक्षी के साक्ष्य को केवल इस आधार पर अनदेखा या अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि वह मृतक का निकट संबंधी है।"

6. ***ब्रह्म स्वरूप एवं एक अन्य नाम राज्य उत्तर प्रदेश*****, ए.आई.आर. 2011 एस सी 280** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है—

"21. केवल इस कारण कि साक्षी मृत व्यक्तियों के निकट संबंधी हैं, उनके अभिकथन को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। किसी पक्ष से साक्षी का संबंध उसकी विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है; बल्कि सामान्यतः यह माना जाता है कि कोई संबंधी वास्तविक अपराधी को छिपाकर किसी निर्दोष व्यक्ति पर आरोप नहीं लगाएगा। झूठा फँसाने के तर्क के समर्थन में पक्षकार को ठोस तथ्यात्मक आधार स्थापित करना होता है तथा निर्दोष एवं विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत कर उसे सिद्ध करना होता है। तथापि, ऐसे मामलों में न्यायालय को सावधानीपूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए साक्ष्यों का विश्लेषण करना होता है, ताकि यह परखा जा सके कि वे सुसंगत एवं विश्वसनीय हैं या नहीं।

"22. जहाँ घटना का कोई साक्षी स्वयं उस घटना में आहत हुआ हो, ऐसे साक्षी के अभिकथन को सामान्यतः अत्यंत विश्वसनीय माना जाता है, क्योंकि उसकी उपस्थिति घटनास्थल पर स्वाभाविक रूप से सिद्ध होती है और इस बात की संभावना कम होती है कि वह वास्तविक हमलावरों को छोड़कर किसी निर्दोष व्यक्ति को झूठा फँसाएगा। 'किसी आहत साक्षी के अभिकथन को अविश्वसनीय ठहराने के लिए ठोस एवं प्रभावी साक्ष्य आवश्यक होते हैं।'"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. ***वामन एवं अन्य बनाम राज्य महाराष्ट्र,*** **(2011) 7 एस सीसी 295** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है—

> **"17.** *बलराजे बनाम राज्य महाराष्ट्र,* (2010) 6 एस सीसी 673 में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि मात्र इस आधार पर कि साक्षी मृतक के रिश्तेदार हैं, उनके साक्ष्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। आगे यह भी कहा गया कि जब चक्षुदर्शी साक्षियों को हितबद्ध अथवा अभियुक्तों के प्रति शत्रुतापूर्ण भावना से प्रेरित बताया जाता है, तब भी यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा कि वे वास्तविक अपराधी को बचाकर निर्दोष व्यक्तियों को फँसा देंगे। साक्ष्य की सत्यता अथवा असत्यता का निर्धारण व्यावहारिक दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए तथा न्यायालय को संबंधित साक्षियों एवं अभियुक्तों के प्रति शत्रुतापूर्ण भावना से प्रेरित साक्षियों के साक्ष्य का विवेचन करना आवश्यक होता है....
>
> **19.** ..... **"29.** किसी साक्षी के साक्ष्य को केवल इस आधार पर अमान्य नहीं किया जा सकता कि वह अपराध के शिकार व्यक्ति का रिश्तेदार है। यदि साक्ष्य में विश्वसनीयता है और उस पर भरोसा किया जा सकता है, तो संबंधी साक्षियों के साक्ष्य के संबंध में उठाई गई आपत्ति निराधार रह जाती है। ऐसे मामलों में, यदि झूठा फँसाने का अभिवाक किया जाता है, तो बचाव पक्ष को उसका आधार स्थापित करना होता है तथा न्यायालय को रिश्तेदार साक्षियों के साक्ष्य का सावधानीपूर्वक विवेचन करना होता है ताकि यह परखा जा सके कि वह सुसंगत एवं विश्वसनीय है या नहीं। (देखें— *जर्नैल सिंह बनाम राज्य पंजाब,* (2009) 9 एससीसी 719; *विष्णु बनाम राज्य राजस्थान,* (2009) 10 एससीसी 477; एवं *बलराजे,* (2010) 6 एससीसी 673)।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. धनिराम (अ.सा.-6) ने अभिकथन दिया कि मृतक गनिराम उसका भाई था। उसने आगे बताया कि लगभग दोपहर 12:00 बजे वह और मृतक खेत में हल चला रहे थे। दोषमुक्त किए गए अभियुक्त थनवर पास के बनिया के खेत में बैठा हुआ था। उसने यह भी कहा कि अपीलार्थी नैन दास, राम प्रसाद, लक्ष्मण और शिव प्रसाद उसी खेत में दोषमुक्त किए गए अभियुक्त थनवर से मिले। अपीलार्थी राम प्रसाद और नैन दास अपने कंधों पर कांवर लेकर आए थे। अपीलार्थी उसके खेत में आए। अपीलार्थी राम प्रसाद, लक्ष्मण और नैन दास तब्बल से सुसज्जित थे तथा अपीलार्थी शिव प्रसाद और दोषमुक्त किए गए अभियुक्त थनवर लाठी से सुसज्जित थे। अपीलार्थियों ने मृतक पर हमला करना शुरू कर दिया। मृतक जमीन पर गिर पड़ा। वह वहाँ से भाग गया। उस समय सांता, अर्जुन और टीका भी अपने-अपने खेतों में हल चला रहे थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. धनीराम (अ.सा.-6) ने अपने प्रतिपरीक्षण के कंडिका 12 में अभिकथन किया कि ऐसा नहीं हुआ था कि मृतक गनीराम भागा और फिर अपीलार्थियों ने उसे घेर लिया। उसने अभिकथन दिया कि मृतक भाग ही नहीं सकता था। उसने यह भी अभिकथन दिया कि जब अपीलार्थियों ने उसे भी मार डालने की बात कही, तब वह वहाँ से भाग गया।

10. अंजोर दास (अ.सा.-7) ने अभिसाक्ष्य दिया कि घटना की तिथि को लगभग 11–12 बजे के बीच वह उसलापुर से बलसमुंड जा रहा था। उस समय गनीराम और धनीराम (अ.सा.-6) अपने खेत की जुताई कर रहे थे। उसी समय अपीलार्थी वहाँ आए। अपीलार्थी शिव प्रसाद और राम प्रसाद कांवर (लिफ्टर) लेकर आए थे। उन्होंने कांवर (लिफ्टर) मृतक के खेत में रख दी। उसने आगे यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि अपीलार्थी राम प्रसाद, लक्ष्मण एवं नैन दास तब्बल से सज्जित थे तथा

अपीलार्थी शिव प्रसाद और दोषमुक्त किया गया अभियुक्त थनवर लाठी से सज्जित थे। अपीलार्थियों ने मृतक पर हमला करना शुरू कर दिया। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि उसने अपीलार्थियों से पूछा कि वे एक गरीब आदमी, अर्थात् मृतक, को क्यों मार रहे हैं। तब अपीलार्थी नैन दास उसे भी मारने के लिए उसकी ओर दौड़ा। उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि धनीराम (अ.सा.-6) खार की ओर भाग गया और वह स्वयं भी वहाँ से भाग गया।

11. श्यामलाल (अ.सा.-4) ने अभिकथन दिया कि घटना के दिन वह अपने खेत में था। लगभग दोपहर 12:00 बजे उसने अपीलार्थियों को गनीराम के खेत की ओर जाते हुए देखा। उसने आगे कहा कि अपीलार्थी नैन दास और राम प्रसाद कांवर (लिफ्टर) ले जा रहे थे। पूछने पर नैन दास ने उसे बताया कि वह अपनी पोती को चिकित्सालय ले जा रहा है। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि उसने अपीलार्थी नैन दास की आवाज सुनी—"बेटा हात काट दे।" कार्तिकराम (अ.सा.-8) ने भी इसी प्रकार का अभिसाक्ष्य दिया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

12. धनीराम (अ.सा.-6) ने अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने थाना बेमेतरा में प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्र.पी.-16) दर्ज कराई। सहायक उप-निरीक्षक बेदराम यादव (अ.सा.-19) ने अभिसाक्ष्य दिया कि दिनांक 7-9-1991 को धनीराम (अ.सा.-6) ने प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्र.पी.-16) दर्ज कराई। उन्होंने मर्ग सूचना (प्र.पी.-4) तथा प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्र.पी.-16) दर्ज की। उन्होंने आगे अभिसाक्ष्य दिया है कि उन्होंने मृतक के शव का मृत्यु समीक्षा (प्र.पी.-9) तैयार किया तथा शव को परीक्षण हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बेमेतरा भेजा।

13. डॉ. के.के. मालेवार (अ.सा.-3) ने अभिसाक्ष्य दिया कि उन्होंने मृतक के शव का परीक्षण किया तथा अपना प्रतिवेदन (प्र.पी.-3) प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने मृतक के शरीर पर लगभग 8 कटे हुए घाव पाए तथा दाहिने कोहनी के जोड़ के

कट जाने से दाहिनी भुजा का अग्रभाग जोड़ से पूर्णतः अलग पाया। उन्होंने मस्तिष्क की अग्रस्थि में अस्थिभंग भी पाया। उनके अनुसार, मृतक की मृत्यु अनेक अस्थिभंग एवं अत्यधिक रक्तस्राव के परिणामस्वरूप उत्पन्न आघात एवं अत्यधिक रक्तस्राव के कारण हुई।

14. डॉ. के.के. मालेवार (अ.सा.-3) तथा धनीराम (अ.सा.-6) के साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए यह स्थापित होता है कि मृतक की मृत्यु मानव वध की प्रकृति की थी। घटना की तिथि एवं समय 9-7-1991 को लगभग दोपहर 1:00 बजे का है तथा उसी दिन लगभग 16:45 बजे प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्र.पी.-16) दर्ज की गई। इस प्रकार प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्र.पी.-16) घटना के लगभग 4 घंटे के भीतर दर्ज की गई। प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्र.पी.-16) में यह उल्लेख किया गया है कि ...

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"आज मै अपने बडे गनी के साथ उस्लामपुर घोर खार औंदू रास्ता खुद के भर्ती खेत मे हल चलाने गया था, एक हल मै चला रहा था, एक हल मेरे भाई गनी चला रहा था, गनी आगे था मै पिछे था, तभी 1 बजे दिन थनवार धनहा खार तरफ से आकर बनिया के खेत मेब बैठ गया। गाव तरफ से नैनदास, रामप्रसाद, लक्ष्मण, शिवप्रसाद, आए, थनवार से बनिया के खेत मे मिले। झुंपोली ढॉक कर नैनदास, रामप्रसाद लाये थे। बनिया के खेत से थनवार, नैनदा, रामप्रसाद, लक्ष्मण, शिवप्रसाद हमारे खेत तरफ आने लगे, ढका झंपोली रामप्रसाद कंधा मे उठाए थे, वे हमोर खेत भीतर आगए, झुंपोली जमीन मे रखे, बाद वे हमे खडे हो रे बोले, मा की गाली दिये, नैनदास, रामप्रसाद, लक्ष्मण तब्बल रखे थे, थनवार, शिवकुमार उर्फ शिवप्रसाद लाठी रखे थे, हथियार वे छिपाकर रखे थे। मैने अपने भाई गनी से कहा की चलो भाई भाग चलो नही तो वे मार डालेंगे, फिर हम दोनो भागने लगे। थोडाही भागने पर वे मेरे भाई गनीराम को घेर लिए, लाठी तब्बल से मारने लगे, मै भागते भागते

मुडमुडकर देखा हू, मेरे भाई को मारने के बाद उनमे से शिवप्रसाद, लक्ष्मण, रामप्रसाद, नैनदास, मुझे मारने को दौडाए। कुछ दूर दौडने के बाद वे रूक गए। उनके वहा से भाग जाने के बाद मै घटना स्थल पर गया, देखा मेरे भाई गनिराम फौत हो गया था, उसके दाहिने हाथ मे, सिर मे, शरिर मे कई जगह चोट है। अंजोर दास, मारते देखा है जब मुझे शिवप्रसाद, लक्ष्मण, रामप्रसाद, नैनदास मारने को दौडा रहे थे तब संता गडरिया, अर्जुन टिला देखे है। गनिराम के लाश मौके पर पडी है।"

15. हमने धनीराम (अ.सा.-6) तथा अंजोर दास (अ.सा.-7) की साक्ष्य का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से अभिसाक्ष्य दिया है कि घटना वाले दिन अपीलार्थियों ने मृतक पर तब्बल एवं लाठी से प्रहार किया। उनके साक्ष्य को श्यामलाल (अ.सा.-4) एवं कार्तिकराम (अ.सा.-8) की साक्ष्य तथा चिकित्सकीय साक्ष्य से भी पुष्टि मिलती है। अतः धनीराम (अ.सा.-6) एवं अंजोर दास (अ.सा.-7) का साक्ष्य पूर्णतः विश्वसनीय एवं ठोस है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. उपर्युक्त साक्षियों के साक्ष्य तथा चिकित्सकीय साक्ष्य को देखते हुए यह स्थापित होता है कि मृतक की मृत्यु मानव वध प्रकृति की थी तथा यह मृत्यु अपीलार्थियों द्वारा तब्बल एवं लाठी से पहुँचाई गई चोटों के कारण हुई।

17. अतः अपीलार्थियों की दोषसिद्धि सुदृढ़, निर्णायक एवं विश्वसनीय साक्ष्यों पर आधारित है। इस अपील में कोई सार नहीं है; फलस्वरूप यह अपील खारिज किए जाने योग्य है तथा इसे एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

सही/-

सुनिल कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

सही/-

आर. एस. शर्मा

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By .....Vinay Awasthi, Advocate

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur